

1162

प्रेषक,

टी०जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सवा में,

अध्यक्ष, व्यापार कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-५

लखनऊ:: दिनांक 29-12-2001

विषय:- उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अन्तर्गत राज्य सेवाओं के कार्मिकों का उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश के मध्य आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-व्या०क०अधि०/६५७८/२०००, दिनांक २७-८-२००१ के सन्दर्भ में मुझे यह कहे का निवेदन हुआ है कि महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम २००० के अधीन उत्तरांचल राज्य के गठन के फलस्वरूप संलग्न सूची के अनुसार उत्तरांचल राज्य एवं उत्तर प्रदेश के मध्य राज्य सेवाओं के व्यापार कर अधिकरण के कार्मिकों का संलग्नक के कालम-५ में उल्लिखित कुल पदों में से कालम-५ में उल्लिखित उत्तरांचल राज्य को आवंटित पदों को ग्रहण किए जाने के पश्चात् कालम-६ में उल्लिखित अवशिष्ट पदों को उत्तरांचल उत्तर प्रदेश के लिए पुनर्निर्धारित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२- आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त आदेशानुसार अनुवर्ती उत्तर प्रदेश में व्यापार कर अधिकरण के कार्मिकों की जमापिस्त स्वीकृत मानते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जायी सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय
[Signature]
टी०जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव

466

शासनादेश सं-2652/14-2001-टी-30/56/2000, दिनांक 29.11.00
संलग्नक।

व्यापार कर अधिकरण में स्वीकृत पदों का उत्तरांचल एवं उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश हेतु आवंटन का विवरण:-

क्र.सं०	पदनाम	वेतनमान	उत्तरांचल के गठन के पूर्व विभाग में स्वीकृत कुल पदों की सं०।	उत्तरांचल हेतु आवंटित पद	उत्तरवर्ती उपरोक्त अयोग्य पद जिनका कि० शासन में होना है।
1	2	3	4	5	6
1-	अध्या, व्यापार कर अधिकरण।	18400-22400	01	-	01
2-	सदस्य, व्यापार कर अधिकरण	* *	33	02 *	301 (31)
3-	निबंधक, व्यापार कर अधिकरण	10000-15200	01	-	01
4-	वरिष्ठ पुरातनिक अधिकारी	6500-10500	01	-	01
5-	का लिय अधीक्षक	5000-8000	01	-	01
6-	वैयक्तिक सहायक	6500-10500	01	-	01
7-	वैयक्तिक सहायक	5500-9000	33	02	31
8-	आशुलिपिक	4000-6000	02	-	02
9-	मुन्सरिम	4500-7000	34	02	32
10-	पुस्तकालयाध्यक्ष	4500-7000	01	-	01
11-	वरिष्ठ लिपिक	4000-6000	88	03	85
12-	कनिष्ठ लिपिक	3050-4590	102	04	98
13-	जमादार/दफ्तारी अण्डललिफ्टर	2610-3540	69	04	65
14-	कार्यालय सेवक/स्पीकर।	2550-3200	153	06	147
15-	चालक	3050-4590	01	-	01

कार्यालय सेवक का एक पद अंतर्गत रहते हुए चालक के पद का सजन श्री सैतराम के लिए किया गया है।

नोट- उत्तरांचल के लिए आवंटित 2 पदों में से एकका चिक सदस्य तथा एक विभागीय सदस्य।

** न्यायिक सदस्य-16400-20000
विभागीय सदस्य-18400-22400
अधिवक्ता सदस्य-14300-18300

36
उत्तरांचल शासन
साधु

सं०ऊ०नि०-५-2652 - 11/11 -2001 तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई को
प्रेषित:—

- 1- महालेखा कार लेखा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
- 2- महालेखाकार उत्तरांचल फ्लोडठ-5, ए कर्महिलरोड सत्यनिष्ठा
भवन इलाहाबाद।
- 3- उत्तरांचल राज्य पुर्नगठन आयुक्त, उत्तरांचल शासन लखनऊ
- 4- सचिव उत्तरांचल सभन्वय विभाग विकास भवन लखनऊ।
- 5- मुख्य सचिव, उत्तरांचल राज्य शासन देहरादून
- 6- सचिव वित्त उत्तरांचल राज्य शासन देहरादून
- 7- कमिश्नर व्यापार कर उ०प्र०, लखनऊ।
- 8- वित्त व्यवस्थापन नियंत्रण अनुभाग-9/कार्मिक अनुभाग-1/कर एवं
निबन्धन अनुभाग-1/3
- 9- निजी सचिव, मा० मंत्री जी/मा० राज्य मंत्री
- 10- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव
- 11- नाई फाइल।

आज्ञा से
सोपाना
सचिव

प्रेषक,
एल0एम0पन्त,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,
अध्यक्ष,
व्यापार कर अधिकरण,
उत्तरांचल, देहरादून।

वित्त अनुभाग-5

देहरादून::दिनांक:: 20 नवम्बर, 2004

विषय:- व्यापार कर अधिकरण, उत्तरांचल के लिये अतिरिक्त पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यापार कर अधिकरण, उत्तरांचल के विभागीय ढाँचे में देहरादून तथा हल्द्वानी पीठों हेतु निम्नांकित सारणी के अनुरूप कुल 07(सात) अस्थायी अतिरिक्त पदों के सृजन की एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति दिनांक 28-02-2005 तक श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	पद नाम	वेतनमान (रूपय)	अतिरिक्त पदों का सृजन / स्थान
1-	कार्यालय अधीक्षक (अध्यक्ष, व्यापार कर अधिकरण कार्यालय हेतु)	5000-8000	01 देहरादून पीठ
2-	वैयक्तिक सहायक	6500-10500	02(1.हल्द्वानी पीठ +1 देहरादून पीठ)
3-	वरिष्ठ लिपिक	4000-6000	01 (देहरादून पीठ)
4-	कनिष्ठ लिपिक / कम्प्यूटर सहायक	3050-4590	01(देहरादून पीठ)
5-	ड्राइवर	3050-4590	01(हल्द्वानी पीठ)
6-	चपरासी	2550-3200	01(हल्द्वानी पीठ)
	योग		07

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक 2040-बिक्री व्यापार आदि पर कर,001-निदेशन एवं प्रशासन,04-व्यापार कर प्राधिकरण का अधिष्ठान,01-वेतन, 03-महगाई-भत्ता,06-अन्य भत्ते के सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
(एल0एम0पन्त) 20/11/2004
अपर सचिव।

O.S.
Seen K.O.R.
25/11/04
अध्यक्ष,
व्यापार-कर अधिकरण
उत्तरांचल, देहरादून
2